N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0169 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/08/2024 15:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	8
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	9
5	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	10
6	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 09/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 3 **Time From (समय से):** 18:00 बजे **Time To (समय तक):** 08:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/08/2024 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/08/2024 15:52:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 102 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** 153, Ward 06, Civil Line Tonk

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): parasmal panwar

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 02/05/1978

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	sargaro ka bas, raypur pali, JAITARAN, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	sargaro ka bas, raypur pali, JAITARAN, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SULTAN SINGH		पिता:RAMLAL MEENA	1. MUKAM POST LALASAR,KISHANGADH RENWAL,JAIPUR
2	AJAY KUMAR KHANDEWAL		पिता:RAMESH CHAND KHANDEWAL	1. B-123,NAGAR PARISHAD COLONY,TONK,RAJASTHAN,INDIA
3	JAYANTRAJ JAIN		पिता:MAHENDARA KUMAR JAIN	1. 36,GOSHALA KE PASS,INDIRA

				RAJASTHAN,INDIA
4	ANUJ JAIN		पिता:DILIP KUMAR JAIN	1. B-15,JILAI ROAD,MAHAVEER COLONY,NIWAI,NEWAI,TONK,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों को विश्वस्त सूत्रों से इस सार की सूचना प्राप्त हुई है कि जिला उद्योग केन्द्र, टोंक में पदस्थापित मुख्य प्रबंधक श्री सुल्तान सिंह मीणा, मोबाइल नंबर लिपिक श्री अजय खण्डेलवाल मोबाइल नंबर के माध्यम से विभिन्न औद्योगिक विकास की योजनाओं में गलत रिपोर्ट बनाने, गलत लोन पास करने, सही लोन देने की एवज में, फर्जी बिलों के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की एवज में रिश्वत की राशि प्राप्त कर रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर औद्योगिक विकास की योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न हो रहे लोक सुरक्षा के संभावित खतरे से सम्बन्धित होने के मध्यनजर तकनीकी शाखा द्वारा श्री सुल्तान सिंह मीणा, जिला उद्योग अधिकारी, टोंक के मोबाईल नं. तथा संदिग्ध राजकीय कर्मचारी श्री अजय खण्डेलवाल के मोबाईल नं. का तकनीकी विश्लेषण एवं गोपनीय सत्यापन किया गया तो प्राप्त सूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई। इस पर श्री सुल्तान सिंह मीणा, जिला उद्योग अधिकारी, टोंक द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. तथा श्री अजय खण्डेलवाल, राजकीय कर्मचारी, जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय, बूंदी द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त नियमातुसार अन्तावरोध पर लिया जाकर श्री लक्ष्मणनारायण शर्मा, हैडकानि. 15 द्वारा सुना गया तथा वार्ताओं में आये तथ्यों के आधार पर तकनीकी विश्लेषण एवं गोपनीय सत्यापन भी किया गया। अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं को सुनने से यह प्रकट हुआ कि श्री सुल्तान सिंह मीणा, जिला उद्योग अधिकारी के पद पर जिला-टोंक में कार्यरत है और श्री अजय खण्डेलवाल, जो कि जिला उद्योग केन्द्र, बूंदी में कार्यरत हैं, किन्तु बूंदी में पदस्थापन होने के उपरांत भी अजय खण्डेलवाल श्री सुल्तान सिंह मीणा के नियमित सम्पर्क में है तथा श्री सुल्तान सिंह मीणा की राजकीय एसएसओ आईडी एवं गोपनीय पासवर्ड का प्रयोग उसकी सहमति से श्री अजय खण्डेलवाल द्वारा किया जा रहा है। श्री अजय खण्डेलवाल जिला उद्योग केन्द्र, टोंक से सम्बन्धित ऋण योजनाओं की पत्रावलियां निकालने के लिये सम्बन्धित लाभान्वितों से उन्हें दिये जाने वाले ऋण की एवज में श्री सुल्तान सिंह मीणा, जिला उद्योग अधिकारी, टोंक के लिये कमीशन के रूप में निरन्तर रिश्वत राशि प्राप्त कर रहे है। अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं से यह भी प्रकट हुआ है कि श्री सुल्तान सिंह मीणा, जिला उद्योग अधिकारी, टोंक तथा श्री अजय खण्डेलवाल द्वारा मिलीभगत कर जिला उद्योग केन्द्र, टोंक से सम्बन्धित अनेको लाभान्वितों को ऋण प्रदान करने में सुलभता प्रदान करने हेतु रिश्वत राशि प्राप्त की गई है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित लाभान्वित श्री अनुज को दिये जाने वाले ऋण की पत्रावली सुचारू रूप से निकालने के लिये श्री अजय खण्डेलवाल द्वारा सम्बन्धित लाभान्वित से श्री सुल्तान सिंह मीणा, जिला उद्योग अधिकारी, टोंक के लिये रिश्वत राशि प्राप्त की जायेगी। अतः निवेदन है कि उपरोक्त भ्रष्टाचार में संलिप्त सम्बन्धित लोकसेवकों एवं अन्य व्यक्तियों को रिश्वत आदान-प्रदान करते हुए पकडने पर जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय, टोंक में व्यापक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर किया जाना एवं रिश्वत राशि की बरामदगी किया जाना

संभव हो सकता है। इस संदर्भ में मन पारसमल उप अधीक्षक, श्रीमान उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर के निर्देशानुसार ब्यूरो मुख्यालय की तकनिकी शाखा से सम्पर्क कर जिला उद्योग केन्द्र टोंक में पदस्थापित मुख्य प्रबंधक श्री सुल्तान सिंह मीणा एवं कार्मिक श्री अजय कुमार खण्डेलवाल द्वारा उद्योगिक विकास की विभिन्न योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुये। अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 08.08.2024 को मन उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री रामपाल सउनि, श्री गजेन्द्र सिंह कानि 15, श्री पवन राव कानि 417, श्री अशोक कुमार कानि 367 मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आर.जे 14- यू.ए.- 8904 के टोंक पहुंचकर 04.00 पी.एम. पर टोंक पहुंचकर रात्री मुकीम हुए। श्री राहुल शर्मा हैड कानि नं. 80 तकनीकी शाखा, भ्र.नि.ब्यूरो. राज. जयपुर द्वारा कार्यालय से बन्द सील लिफाफा मुझ उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा उक्त बन्द सील लिफाफे को खोलकर चैक किया तो कार्यालय महानिदेशक भ्र.नि.ब्यूरो. राज. जयपुर के कार्यालय पत्रांक 248 दिनांक 08.08.2024 से मुझ उप अधीक्षक को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने के लिये निर्देश प्रदान किये। पत्र के संलग्न मूल एसआईआर संदिग्ध अधिकारी श्री सुल्तान सिंह मीणा डीआईसी टोंक एवं श्री अजय कुमार खण्डेलवाल की मोबाईल नम्बरो की अंतावरोध अवधि में रिकार्ड वार्ताओं से सम्बंधित सार का प्राप्त हुआ। दिनांक 09.08.2024 को समय 07.19 ए.एम पर लक्ष्मण नारायण शर्मा हैड कानि 15 ने जरिये मोबाईल मुझ उप अधीक्षक को बताया कि श्री सुल्तान सिंह मीणा अपने पूर्व अधिनस्थ कार्मिक श्री अजय कुमार खण्डेलवाल के मार्फत मोटी रिश्वत राशि लेकर उसके सिविल लाईन स्थित किराये के मकान पर पहुंचेगा तथा श्री सुल्तान सिंह मीणा मो. नं. एवं अजय कुमार खण्डेलवाल के मो.नं. की अंतावरोध वार्ताओं को सुनने पर पाया कि अजय कुमार खण्डेलवाल आज ही करीब 08.00 ए.एम से 08.15 ए.एम के बीच श्री सुल्तान सिंह मीणा को उसके घर पर ही रिश्वत राशि देगा। जिस पर मन उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री रामपाल सउनि, श्री गजेन्द्र सिंह कानि 15, श्री पवन राव कानि 417, श्री अशोक कुमार कानि 367 मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आर.जे 14- यू.ए.- 8904 के एसीबी कार्यालय टोंक पहुंचा। जहां श्री झाबरमल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर पूर्व में पाबंदशुदा गवाह श्री आलोक शर्मा सूचना सहायक व श्री भगवान सहाय गुर्जर कनिष्ठ सहायक, महिला कानि. श्रीमति सुनीता नं. 838 एवं चौकी टोंक से श्री आसिफ खान सउनि को हमराह लिया तथा श्री आसिफ खान सउनि को श्री अशोक कुमार कानि. के साथ मोटर साईकिल पर आरोपी के आवास सिविल लाईन टोंक की तरफ रवाना कर मन उप अधीक्षक मय जाप्ता मय लेपटॉप प्रिन्टर एवं आवश्यक अनुसंधान सामग्री के रवाना होकर समय 08.30 ए.एम पर आरोपी श्री सुल्तान सिंह के किराये के मकान के पास पहुंचे, जहां पर ब्यूरो मुख्यालय के श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा हैड कानि 15, श्री राहुल शर्मा हैड कानि 80, श्री अनिल सिंह हैड कानि नं. 147, श्री सुल्तान सिंह के मकान के पास उपस्थित मिले। श्री राहुल शर्मा हैड कानि 80 ने मुझ उप अधीक्षक को बताया कि यह लाल कलर की मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर प्लस जिसके रजिस्ट्रेशन नं. आर.जे 26- एस.एन- 8520 श्री अजय कुमार खण्डेलवाल की है एवं श्री अजय कुमार खण्डेलवाल अभी अभी हमारे सामने एक जूट का थैला जिस पर बिरला सम्राट चेतक प्रिन्ट किया हुआ हाथ में लटकाये हुये अभी अभी आरोपी के मकान में घुसा है। श्री अनिल सिंह हैड कानि नं. 147 को श्री झाबरमल जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की इमदाद हेतु रवाना किया गया। मन उप अधीक्षक पारसमल द्वारा तकनिकी शाखा के श्री लक्ष्मण नारायण हैड कानि से सम्पर्क कर अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आरोपी के मकान के आस पास मुकीम हुये तथा श्री अजय कुमार खण्डेलवाल को आरोपी श्री सुल्तान सिंह के मकान के बाहर निकलने का इंतजार किया। करीब 10 मिनट बाद एक व्यक्ति जिसने टीशर्ट और लोअर पहना हुआ बाहर निकला। जिसने श्री अजय कुमार खण्डेलवाल की मोटर साइकिल को आगे पीछे करने लगा तो तब मन उप अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति से पूछताछ की इतने में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 40 साल करीबन का एवं एक व्यक्ति जिसने फुल आस्तीन की बनियान एवं बरमुडा पहना हुआ, मकान की गैलेरी में आये जिस पर मन उप अधीक्षक मय एसीबी टीम एवं स्वतन्त्र गवाहान मय महिला कानिस्टेबल के मकान में प्रवेश किया। मन पारसमल उप अधीक्षक द्वारा स्वयं का परिचय देकर पृथक पृथक नाम पता पूछा तो बनियान एवं बरमुडा पहने हुये व्यक्ति नें अपना नाम श्री सुल्तान सिंह पुत्र श्री रामलाल मीणा, उम्र 55 वर्ष, निवासी मु.पो. लालासर, थाना किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर हाल महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र टोंक व दूसरे ने अपना नाम श्री अजय कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल जाति महाजन, उम्र 42 वर्ष, निवासी खिरणी, सवाई माधोपुर हाल प्लाट नं. बी - 123 नगर परिषद कोलोनी टोंक हाल वरिष्ठ सहायक, जिला उद्योग केन्द्र बून्दी का होना बताया। इस पर तकनिकी शाखा के श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा हैड कानि ने उपरोक्त दोनो की पहचान करते हुये उनके नाम पते ताईद किये, तत्पश्चात पूछताछ की तो श्री सुल्तान सिंह ने बताया कि मैं यहां हिम्मत सिंह के मकान में किराये से रहता हूँ। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा आने का मंतव्य बताते हुये श्री अजय कुमार खण्डेलवाल से श्री सुल्तान सिंह मीणा के घर पर आने का कारण पूछा तो इधर उधर की बाते करने लगा तथा कहा कि मैं तो बाजार आया था, जो इनसे ऐसे ही मिलने आ गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा श्री अजय कुमार खण्डेलवाल को श्री सुल्तान सिंह मीणा द्वारा अनुज जैन की रिसोर्ट की फाईल में एवं अन्य पत्रावलियों में रिश्वत राशि का कलेक्शन कर आज सुबह आप द्वारा श्री सुल्तान सिंह को उनके घर पर रिश्वत राशि दी है। जिस पर अजय कुमार खण्डेलवाल ने कहा कि मैनें किसी प्रकार की रिश्वत राशि का कलेक्शन नही किया है और न ही मैनें कोई रिश्वत राशि श्री सुल्तान सिंह को अभी दी है। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक द्वारा श्री अजय कुमार खण्डेलवाल को तसल्ली देकर पूछताछ की तो बताया कि

मैं आज बिरला सम्राट चेतक सीमेंट का जुट का यह बैग लेकर आया था जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा गवाहान के समक्ष बैग को चैक किया तो बैग में एक पॉलिथिन की थैली जिस पर वेलकम अगेन हरे रंग की थैली एवं उसके अन्दर एक जेके इजी कॉपियर ए 4 साईज के पेपर का कवर मिला। श्री अजय कुमार खण्डेलवाल ने बताया कि मैनें श्री अनुज जैन की रिसोर्ट की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की फाईल सी.ए. श्री जयंत जैन के मार्फत श्री सुल्तान सिंह जी से कम्पलीट करवायी थी। जिसमें अनुज जैन ने 1.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि दी थी। जिसमें मैनें 50,000/- रूपये मैनें मेरी उधारी चुकाने के लिये दे दिये और जिसमें से शेष 1,00,000 रूपये की रिश्वत राशि मैनें अभी अभी श्री सुल्तान सिंह को दी है। जिन्होने उक्त राशि लेकर एक नीले रंग के बैग के साईड जेब में रखे है। जिस पर श्री सुल्तान सिंह से उक्त रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो बताया कि मैनें कोई रिश्वत राशि नही ली है। मैने तो 1,00,000/- रूपये उधार के मंगवाये है। तत्पश्चात श्री सुल्तान सिंह से गहराई से पूछताछ की तो बताया कि श्री अजय कुमार खण्डेलवाल अभी अभी आज ही मेरे पास 1,00,000/- रूपये का राशि लेकर आया है। जिसको मैनें कमरे मे रखे बैग की साईड जेब में रख लिये है। जिस पर मन उप अधीक्षक द्वारा गवाहान के समक्ष नीले रंग के बैग को चैक किया तो बैग की साईड जेब में 500-500 रूपये के नोटो की दो गड्डिया मिली। जिनको स्वतन्त्र गवाह श्री आलोक शर्मा व भगवान सहाय से गिनवायी गयी तो कुल राशि 1,00,000/- रूपये मिले। जिसको कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मुख्यालय निर्देशानुसार श्री झाबरमल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी टोंक को आरोपी श्री अजय कुमार खण्डेलवाल के आवास बी-123 नगर परिषद कोलोनी टोंक की खाना तलाशी हेतु एवं श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई जयपुर को श्री जयंत जैन के निवाई स्थित आवास की तलाशी हेतु एवं श्री अनुज जैन को हमराह लेकर आने के संबंध में मामूर किये गये। श्री सुल्तान सिंह के मकान मालिक श्री हिम्मत सिंह जो वक्त कार्यवाही मौजूद है जिससे मन उप अधीक्षक द्वारा पूछताछ की तो बताया कि मेरा नाम हिम्मत सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, उम्र 48 वर्ष, निवासी मकान नं. 153, वार्ड नं. 06, सिविल लाईन टोंक हाल एडवोकेट एवं पार्षद वार्ड नं. 06, नगर परिषद टोंक मो.न. . बताया कि मेरे मकान में श्री सुल्तान सिंह करीब 8 साल से किराये से रहते है तथा उनको दो रूम एवं एक किचन किराये पर दिया हुआ है। जो मुझे 3500/- रूपये प्रतिमाह नकद ही किराये का भुगतान करते है। मैनें मेरे किराये के मकान का श्री सुल्तान सिंह से कोई किरायानामा तैयार नही करवाया है। इस मकान का पट्टा मेरे पिताजी श्री रघुनाथ सिंह जी के नाम है जिसका नगर परिषद टोंक से पट्टा जारी हो रखा है। जिसकी प्रति मैं आपको आईन्दा उपलब्ध करवा दूंगा, अभी मेरे पिताजी बाहर गये हुये है। श्री अजय कुमार खण्डेलवाल द्वारा श्री अनुज जैन के रिसोर्ट की पत्रावली सम्बंधी जिला उद्योग केन्द्र टोंक से मंगवाने हेतु श्री सीताराम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से जरिये मो.नं. से सम्पर्क किया। तो कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र टोंक से श्री कुलदीप बरसर जिला उद्योग अधिकारी टोंक सम्बंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां लेकर उपस्थित हुए, जिनसे श्री अनुज जैन के एबीसी रिसोर्ट से संबंधित पत्रावलियों के संबंध में जानकारी चाही तो बताया कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत आवेदक श्री अनुज जैन द्वारा अव्यक्तिगत श्रैणी में आवेदन क्रमांक MLUPY /2024-25/176188 दिनांक 28.07.2024 को होटल, मोटल एवं गेस्ट हाउस के लिये ऑनलाईन पोर्टल पर एबीसी रिसोर्ट के नाम से आवेदन किया गया था। उक्त ऑनलाईन प्राप्त आवेदन जी.एम. डीआईसी के लॉगिन पोर्टल पर प्राप्त कर डीएलटीएफसी की बैठक में रखा जाना तय हुआ। डीएलटीएफसी की बैठक दिनांक 05.08.2024 को रखी गयी जिसमें उक्त आवेदन वित्तीय संस्थान को ऋण हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया। आवेदक द्वारा कुल 3.00 करोड रूपये हेतु आवेदन किया गया था। जिसमें 2.75 करोड पूंजीगत लोन हेतु तथा रूपये 25.00 लाख कार्यशील पूंजी हेतु स्वीकृत किया गया था तथा दिनांक 05.08.2024 को उक्त आवेदन ऑनलाईन ही जी.एम. डीआईसी (सुल्तान सिंह) के लॉगिन से एसबीआई बैंक शाखा निवाई को प्रेषित किया गया। उक्त आवेदन अभी बैंक स्तर पर लम्बित है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए द्वारा तैयार की जाती है। लेकिन रिकॉर्ड देखकर यह नही बता सकते है कि किस सीए ने रिपोर्ट तैयार की है, यह आवेदक ही बता सकता है। आज मैं आपको श्री अनुज जैन की होटल एवं रिसोर्ट से संबंधित ऑनलाईन पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां जिसमें कुल पेज 01 से 55 तक है जिसको मैं मेरे हस्ताक्षर से प्रमाणित कर प्रस्तुत कर रहा हूँ। दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री सुल्तान सिंह के मो.नं. एवं श्री अजय कुमार खण्डेलवाल के मो.नं. में मिले दस्तावेजों के फोटो के स्क्रीनशॉट लिये जाकर शामिल कार्यवाही किये गये। दौराने कार्यवाही श्री सुल्तान सिंह जी.एम. डीआईसी टोंक का स्पष्टीकरण लिया गया तो बताया कि मैं अक्टूबर 2023 में महाप्रबंधक के पद पर जॉइन किया था। श्री अजय कुमार खण्डेलवाल नें मेरे कार्यालय में मेरे अधिनस्थ मार्च 2024 तक कार्य किया था। इसके बाद इसका बून्दी ट्रांसफर हो गया था। इसके बाद भी टोंक के आवेदको की ऑनलाईन पत्रावलियों में से कुछ पत्रावलियां श्री अजय कुमार खण्डेलवाल तैयार करवाता, यह बात सही है। श्री अनुज जैन व उसके पार्टनरो के नाम से एबीसी रिसोर्ट की पत्रावली हमारे कार्यालय में ऑनलाईन प्राप्त हुई थी। इस पत्रावली में कुछ कमियां थी, हमनें इस फाईल में पार्टनरशीप डीड सबमिट करवाने की आपत्ति दर्ज की थी। लेकिन तकनिकी कारणों से आवेदक द्वारा फाईल की कमी की पूर्ति नही कर पा रहा था जिस पर मैनें हैडक्वार्टर पर वार्ता कर पोर्टल को चालू करवाने के संबंध में निवेदन किया क्योकिं यह योजना समाप्त हो रही थी व अंतिम बैठक थी, इसलिये मुझे यह फाईल निकलवानी थी, क्योकि मुख्यालय के निर्देश थे। इस फाईल में मेरी जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक में 05.08.2024 को ही आवेदक श्री अनुज जैन का इंटरव्यू करवाकर मैनें बैंक को फाईल सबमिट कर दी थी। श्री

अनुज जैन की पत्रावली को निकलवाने के लिये श्री अजय कुमार खण्डेलवाल नें मुझे कई बार फोन पर वार्ता की तथा व्हाट्सएप्प मैसेज भी किये। यह फाईल 3.00 करोड रूपये ऋण की थी। मेरे पास जयंत जैन सीए निवाई की फाईल के फर्म के रजिस्ट्रेशन के संबंध में बात हुई थी। मैनें अनुज जैन की पत्रावली में 3.00 करोड रूपये के ऋण को स्वीकृत करने के लिये किसी से भी एक प्रतिशत कमीशन राशि लेने के लिये बात नही की है। अजय कुमार खण्डेलवाल नें फर्म मालिक अनुज जैन या सीए श्री जयंत जैन से इस फाईल को पास कराने के लिये मेरे नाम से रिश्वत ली हो तो मेरी जानकारी में नही है। आज आप द्वारा मुझे अजय कुमार खण्डेलवाल से 1.00 लाख रूपये रिश्वत राशि लेने के संबंध में पूछने पर बताता हूँ कि मैनें श्री अजय कुमार खण्डेलवाल से जो 1.00 लाख रूपये मेरे निजी काम के लिये उधार लिये है। मुझे यह 1.00 लाख रूपये मेरे गांव में परिवारजनो के दूध की व्यवस्था नही थी इसलिये भैंस खरीदने के लिये मंगवाये थे। समय 03.20 पी.एम पर श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक, एसआईयू जयपुर द्वारा श्री जयंतराज जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन, उम्र 36 वर्ष निवासी मकान नं. 36, गौशाला के पास इन्द्रा कोलोनी निवाई, पुलिस थाना निवाई, जिला टोंक हाल सीए, श्री जैन अरिहंत एंड एसोसियेट्स निवाई जिला टोंक एवं श्री अनुज जैन पुत्र श्री दिलीप कुमार जैन, उम्र 22 वर्ष निवासी - मकान नं. बी-15, जिलाई रोड, महावीर कोलोनी, निवाई टोंक को हमराह लेकर मन उप अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जिनका पृथक पृथक स्पष्टीकरण लिया गया। श्री जयंतराज जैन एवं श्री अजय कुमार खण्डेलवाल की मोबाईल पर अनुज जैन की एबीसी रिसोर्ट की पत्रावली में 1.50 लाख रूपये रिश्वत राशि अनुज जैन से लेकर श्री अजय कुमार खण्डेलवाल को दिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण लिया गया तो बताया कि श्री अनुज जैन मेरे समाज का है। अनुज का इस पार्टनरशीप फर्म में एक तिहाई हिस्सा है। अनुज के पिताजी नें मुझे इस फाईल को जिला उद्योग केन्द्र टोंक से पास कराने के लिये बोला था तो मैनें कहा कि मैं नही करा पाउंगा, आप अजय जी से बात कर लो। अजय कुमार खण्डेलवाल व दिलीप कुमार जी की आपस में बातचीत हुई थी। इसके बाद मैनें अनुज की इस फर्म की पार्टनरशीप डीड तैयार करवायी व पैन कार्ड एप्लाई किया तथा फर्म का उद्धम रजिस्ट्रेशन एवं संस्था रजिस्ट्रेशन करवाया। श्री अजय कुमार खण्डेलवाल को 1.50 लाख रूपये रिश्वत लेने के संबंध में पूछने पर बताया कि श्री अजय कुमार खण्डेलवाल डायरेक्ट पार्टी से बात नही कर रहा था इसलिये मैनें समाज का होने के नाते मैनें अनुज को फोन कर 1.50 लाख रूपये रिश्वत राशि मेरे ऑफिस के लडके श्री हेमंत के मार्फत मंगवाई थी। हेमंत जब पैसे लेने अनुज के पास गया उससे पूर्व ही अजय कुमार खण्डेलवाल मेरे ऑफिस में आ चुका था। अजय कुमार ने एकमुश्त ही दिनांक 05.08.2024 को ही 1.50 लाख रूपये लेकर मेरे ऑफिस से चला गया। अजय कुमार शाम को 5-6 बजे के लगभग आया था। तब मैने 1.50 लाख रूपये श्री अनुज जैन से मंगवाकर दिये थे। श्री अनुज जैन से दौराने कार्यवाही पूछताछ एवं स्पष्टीकरण लिया गया तो बताया की एबीसी मेरी पार्टनरशीप फर्म है, जिसमें मेरी एक तिहाई हिस्सेदारी है। जो मैरिज गार्डन और रिसोर्ट के लिये रजिस्टर्ड करवायी गयी है। श्री अजय कुमार खण्डेलवाल को मेरी फर्म का उद्धम ऋण करवाने के लिये स्वीकृति हेतु मैनें अजय कुमार को 1.50 लाख रूपये रिश्वत राशि देने के संबंध में मेरा स्पष्टीकरण यह है कि मेरी अजय कुमार खण्डेलवाल से डायरेक्ट जान पहचान नही थी इसलिये मैने श्री जयंतराज जैन सीए साहब को बोला था। दिनांक 05.08.2024 को श्री जयंतराज जैन ने शाम को फोन कर 1.50 लाख रूपये मंगवाये थे। जयंतराज जैन ने अपने ऑफिस से एक लडके को भेजा था जिसको मैनें 1.50 लाख रूपये दिये थे। श्री जयंतराज जैन नें मुझे कहा कि पैसे अजय कुमार खण्डेलवाल को देने है, मेरे से जयंतराज नें पैसे अजय कुमार को देने के लिये मंगवाये थे। अजय कुमार खण्डेलवाल की पोस्टिंग जिला उद्योग केन्द्र टोंक में है या नही, मुझे जानकारी में नही है। रिश्वत राशि लेनदेन से संबंधित श्री सुल्तान सिंह जी.एम. डीआईसी टोंक, श्री अजय कुमार खण्डेलवाल, वरिष्ठ सहायक, डीआईसी बून्दी, श्री जयंतराज जैन सीए निवाई, एवं एबीसी पार्टनरशीप फर्म के लाभार्थी श्री अनुज जैन का स्पष्टीकरण संतोषजनक नही पाया गया। अतः उक्त रिश्वति राशि नोट 1.00 लाख रूपये (500-500 की दो गड्डिया) को बतौर रिश्वत राशि वजह सबूत में जप्त कर एक पीले लिफाफे में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर मार्क N अँकित कर समस्त हाजरीन के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी सुल्तान के पास मिले मोबाईल रेडमी 9 को वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर मार्क M-1 दिया गया, अजय कुमार खण्डेलवाल के पास मिले मोबाईल रेडमी 9 को वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर मार्क M-2 दिया गया एवं अनुज जैन के पास मिले मोबाईल एप्पल आईफोन 14 प्रो को वजह सबूत जप्त कर एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर मार्क M-3 दिया गया जिसमें पार्टनरशीप फर्म एबीसी से संबंधित विषय वस्तु होने से उपरोक्त सभी फोनो को कब्जे एसीबी लिया गया जिनको जरिये फर्द पृथक से जप्त किया गया। आरोपी श्री अजय खण्डेलवाल वरिष्ठ सहायक, जिला उद्योग केन्द्र बून्दी द्वारा आरोपी श्री सुल्तान सिंह को रिश्वत राशि 1,00,000/- रूपये देने के लिए उपयोग में लिया गया जूट के बैग को चिट चस्पा कर मार्क B-1 दिया गया। श्री अजय खण्डेलवाल वरिष्ठ सहायक, जिला उद्योग केन्द्र बून्दी से आरोपी श्री सुल्तान सिंह ने रिश्वत राशि 1,00,000/- रूपये प्राप्त कर नीले रंग के रेग्जिन के बैग में रखे जिससे बरामद हुये को वजह सबूत जप्त कर चिट चस्पा कर मार्क B-2 दिया गया। आरोपी श्री सुल्तान सिंह के मो.नं. व आरोपी श्री अजय खण्डेलवाल के मो.नं. को अंतावरोध प्रणाली के तहत लिये जाकर रिकार्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जायेगी। ट्रेप कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिकार्डिंग से संबंधित मूल मैमोरी कार्ड माननीय न्यायलय हेतु जरिये फर्द जप्ती पृथक से जप्त किया जाकर मार्क A दिया गया तथा उक्त मेमोरी कार्ड से 02 पेन ड्राइव अनुसंधान अधिकारी

एवं कार्यालय हेतु तैयार किये गये जिनको खुला रखा गया। कार्यवाही में उपयोग ली गयी पीतल की शील क्रमांक 28 नम्बर को गवाहान के समक्ष तुडवायी जाकर फर्द नाशानी तैयार की गई। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से पाया गया कि श्री सुल्तान सिंह मीणा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, टोंक अपने पूर्व कार्मिक श्री अजय कुमार खण्डेलवाल वरिष्ठ सहायक हाल पदस्थापन जिला उद्योग केन्द्र बून्दी से नियमित सम्पर्क में था तथा डीआईसी टोंक में आवेदको की उद्योगो के ऋण स्वीकृति से संबंधित पत्रावलियों को निर्बाध रूप से कार्यवाही करवाने की ऐवज में आवेदकों से कमीशन के तौर पर निरंतर रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया। आवेदक श्री अनुज जैन की एबीसी रिसोर्ट ऋण स्वीकृति राशि 3.00 करोड रूपये के लोन सेंक्शन करवाने की ऐवज में दिनांक 05.08.2024 को श्री अजय कुमार खण्डेलवाल द्वारा शाम को निवाई जाकर 1.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि अनुज जैन से सी.ए. श्री जयंतराज जैन के मार्फत प्राप्त किये। श्री सुल्तान सिंह मीणा एवं श्री अजय कुमार खण्डेलवाल की मोबाईल पर वार्ता हुई जिसमें श्री सुल्तान सिंह की सहमति के बाद 1.00 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेकर श्री अजय कुमार खण्डेलवाल, श्री सुल्तान सिंह के घर पहुंचकर रिश्वत राशि दी जिसको श्री सुल्तान सिंह नें ग्रहण करना पाया गया तथा अजय कुमार खण्डेलवाल द्वारा 50,000/- रूपये रिश्वत राशि स्वयं की उधारी चुकाने में खर्च कर दी। इस प्रकार आरोपी श्री सुल्तान सिंह, महाप्रबंधक, डीआईसी टोंक एवं श्री अजय कुमार खण्डेलवाल द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पद का दुरूपयोग कर स्वयं के लिये अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये आपराधिक षडयंत्र पूर्वक लाभार्थी फर्म के मालिक श्री अनुज जैन से 1.50 लाख रूपये की रिश्वत राशि, श्री जयंत जैन सीए के मार्फत प्राप्त करना पाया गया। उक्त लोकसेवक श्री सुल्तान सिंह महाप्रबंधक, डीआईसी टोंक, श्री अजय कुमार खण्डेलवाल, वरिष्ठ सहायक, डीआईसी बून्दी, श्री जयंत जैन सीए प्राईवेट व्यक्ति, एवं लाभार्थी फर्म मालिक श्री अनुज जैन का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए, 8, 9, 10, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित करना पाया जाता है। अतः उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (पारसमल) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम। केम्प – एसीबी कार्यालय टोंक.........कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारसमल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा प्रथम,केम्प– एसीबी कार्यालय टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8, 9, 10, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री सुल्तान सिंह पुत्र श्री रामलाल मीणा, उम्र 55 वर्ष, निवासी मु.पो. लालासर, थाना किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर हाल महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र टोंक, 2. श्री अजय कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री रमेश चन्द खण्डेलवाल जाति महाजन, उम्र 42 वर्ष, निवासी खिरणी, सवाई माधोपुर हाल प्लाट नं. बी-123 नगर परिषद कोलोनी टोंक हाल वरिष्ठ सहायक, जिला उद्योग केन्द्र बून्दी, 3.श्री जयंतराज जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन, उम्र 36 वर्ष निवासी मकान नं. 36, गौशाला के पास इन्द्रा कोलोनी निवाई, पुलिस थाना निवाई, जिला टोंक हाल सीए, श्री जैन अरिहंत एंड एसोसियेट्स निवाई जिला टोंक एवं 4. श्री अनुज जैन पुत्र श्री दिलीप कुमार जैन, उम्र 22 वर्ष निवासी - मकान नं. बी-15, जिलाई रोड, महावीर कोलोनी, निवाई टोंक के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई अनुसंधान अधिकारी श्री झाबरमल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 150 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर क्रमांक 888-92 दिनांक 10.8.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2 अतिरिक्त/प्रमुख/शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3 आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर। 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राज.,जयपुर

3. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JHABAR MAL YADAV **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक **or (या)**

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/08/2024 15:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/12/1969				
2	Male	02/01/1983				
3	Male	1986				
4	Male	2002				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)